



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102026-277070
CG-DL-E-12102026-277070

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5345]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 9, 2026/आश्विन 17, 1948

No. 5345]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2026/ASVINA 17, 1948

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5557(अ).—केंद्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 14 के साथ पठित धारा 29 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 12 मई, 2017 में प्रकाशित, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1536 (अ), तारीख 12 मई, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 198 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"199.	नाइजर (गिज़ोटिया एबिसिनिका (एल.एफ़.) कैस.)	नाइजर	नाइजर/ रामतिल
200.	समर स्कैश (कुकुरबिटा पेपो एल.)	समर स्कैश	चप्पन कद्दू
201.	रबर (हेवेया ब्रासिलिएंसिस मुएल. आर्ग)	रबर	रबर

202.	महुआ (मधुका लोंगिफोलिया (जे. कोएनिग) पूर्व एल.जे.एफ. मैकब्र.)	महुआ	महुआ
203.	एल्स्ट्रोमेरिया (एल्स्ट्रोमेरिया एसपीपी.)	एल्स्ट्रोमेरिया	एल्स्ट्रोमेरिया
204.	ट्यूलिप (ट्यूलिपा एसपी.)	ट्यूलिप	ट्यूलिप”।

[फा. सं. 2-9/2008-एस.डी (पीटी II)]

अजीत कुमार साहू, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना सं. का.आ. 1536 (अ), तारीख 12 मई, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन का.आ. 2605 (अ), तारीख 22 मई, 2026 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2026

S.O. 5557(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 29 read with section 14 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare), number S.O. 1536(E), dated the 12th May, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 198 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“199.	Niger (<i>Guizotia abyssinica</i> (L.f.) Cass.)	Niger	Niger
200.	Summer Squash (<i>Cucurbita pepo</i> L.)	Summer Squash	Chappan Kaddu
201.	Rubber (<i>Hevea brasiliensis</i> Muell. Arg)	Rubber	Rubber
202.	Mahua (<i>Madhuca longifolia</i> (J. Koenig) ex L.J.F. Macbr.)	Mahua	Mahua

203.	Alstroemeria (<i>Alstroemeria</i> spp)	Alstroemeria	Alstroemeria
204.	Tulip (<i>Tulipa</i> sp.)	Tulip	Tulip”.

[F. No. 2-9/2008-SD(Pt. II)]

AJEET KUMAR SAHU, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1536(E), dated the 12th May, 2017 and was last amended, *vide* S.O. 2605(E), dated the 22nd May, 2026.